प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

4660-75

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो. / आशा सम्मेलन / 2016–17 / 04 / दिनांकः 11. .08.2017

विषयः 23 अगस्त, 2017 को आशा सम्मेलन मनाये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी आशा योजना लागू किये जाने की वर्षगांठ 23 अगस्त, 2017 को आशा दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में जनपद स्तर पर आशा सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। इन सम्मेलनों में आशाओं को विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी देने के साथ–साथ प्रत्येक ब्लॉक से सर्वश्रेष्ठ तीन आशाओं को सम्मानित भी किया जायेगा। साथ ही इस वर्ष जनपद की तीन सर्वश्रेष्ठ आशा संगिनियों को भी सम्मानित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आशा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समुदाय में आशा की भूमिका को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं नवीन योजनाओं के बारे में जानकारी दिया जाना है। आशाओं को इस बात का एहसास दिलाना है कि प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचाने तथा समुदाय को प्रेरित करने में उनकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

आशा दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली जनपदीय सम्मेलनों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश इस परिपत्र में दिये जा रहे हैं जिनके आधार पर कार्यवाही की जानी है।

आशा दिवस / सम्मेलन की रूपरेखा

जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले इस एक दिवसीय सम्मेलन में मुख्यतया आशाओं को उनके कार्य के बारे में जानकारी देना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना एवं विगत वित्तीय वर्ष में किये गये कार्यो के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड में चयनित सर्वोत्तम आशा को पुरस्कार दिया जाना सम्मिलित है। इस सम्मेलन का प्रस्तावित एजेण्डा संलग्नक–1 पर दिया गया है जिसके आधार पर जनपदीय आशा नोडल अधिकारी, जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के साथ मिलकर अपने जनपद के लिये कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे।

आशा सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिये जनपद के प्रभारी मंत्री अथवा जिला परिषद के अध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

आशा सम्मेलन हेतु आमंत्रण

1. यह सुनिश्चित किया जाये कि आशा सम्मेलन में कम से कम 90 प्रतिशत आशाओं एवं समस्त आशा संगिनियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये (इस सम्बन्ध में आवंटित बजट को भी ध्यान में रखा जाये)। प्रत्येक उपकेन्द्र से कम से कम एक आशा अवश्य भाग ले। इस

वर्ष आशा को सम्मेलन स्थल तक आने व जाने के लिये रू0 100/– प्रति आशा की दर से परिवहन भत्ता दिया जायेगा। इसके साथ ही प्रत्येक सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर से दो–दो ए0एन0एम0 व दो–दो ग्राम प्रधानों को बुलाया जाये तथा इनमें महिला ग्राम प्रधान को प्राथमिकता दी जाये। इस कार्य में ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाये तथा सम्मेलन में आशाओं के साथ ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भी प्रतिभाग करें।

2. मुख्य अतिथि के अलावा जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त विकास कार्यक्रमों से जुड़े हुए जिला स्तरीय अधिकारी (विशेषतया पंचायतीराज, बेसिक शिक्षा, बाल विकास विभाग आदि) को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया जाये। जनपद आशा मेन्टॉरिंग समूह के सदस्यों को भी प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया जाये। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अधिकारी सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। जनपद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए।
3. आशा सम्मेलन में प्रतिभाग करने हेतु मण्डल स्तरीय अधिकारी यथा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संयुक्त निदेशक, मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक एवं आशा रीजनल को–ऑर्डिनेटर को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर महानिदेशालय परिवार कल्याण एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को सम्मेलन की तैयार के विषय में जानकारी व आमंत्रण भेजा जाये। मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों/रीजनल आशा कोऑर्डिनेटर को आशा सम्मेलन के लिये की गयी तैयारियों से अवश्य अवगत करा दिया जाये जिससे वह अपने स्तर से सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा कर सकें।

पुरस्कार हेतु आशा का चयन

इस वर्ष **आशाओं द्वारा** वित्तीय वर्ष 2016–17 में **अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में किये गये कार्यों** के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड से सर्वश्रेष्ठ तीन आशाओं को पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। ब्लॉक की **प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त आशाओं की सूची स्वास्थ्य केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये** एवं इसकी सूचना जिला स्वास्थ्य समिति को भी प्रेषित की जाये।

सर्वश्रेष्ठ 3 आशाओं का चयन सम्बन्धित विकास खण्ड स्तरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक द्वारा निम्न मानकों के आधार पर किया जायेगा–

आशा पुरस्कार प्रारूप–

क्र0सं0	गतिविधियाँ	आशाओं के निर्धारित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर अंक प्रतिशत
1	आशा द्वारा अपने क्षेत्र में कराये गये उन	

	संस्थागत प्रसवों की संख्या जिसमें उसे प्रति केस रू0 600/– प्राप्त हुआ हो।	
2	आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या (0–1 वर्ष तक)	
3	आशा के कार्यक्षेत्र में आशा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भ निरोधक साधन अपनाने वाले लाभार्थियों की संख्या	
	उपर्युक्त तीनों मानकों के प्रतिशत का कुल योग	
	औसत प्रतिशत	

सर्वश्रेष्ठ कार्य के मानक

1. आशा द्वारा क्षेत्र से संस्थागत प्रसव कराना

क = आशा के सहयोग से (उन संस्थागत प्रसवों की संख्या जिसमें उसे प्रति केस रू0 600/– प्राप्त हुआ हो) कराये गये **संस्थागत** प्रसवों की संख्या × 1000/जनसंख्या (आशा के कार्यक्षेत्र की)

ख = प्रति हजार सम्भावित प्रसवों की संख्या (जनपद के जन्म दर के आधार पर)

प्रतिशत = क×100/ख

2. आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे

क = आशा के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या×1000/जनसंख्या (आशा के कार्यक्षेत्र की)

ख = प्रति हजार सम्भावित पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या (जनपद के जन्म दर के आधार पर) प्रतिशत = क×100/ख

3. स्थायी गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग हेतु प्रेरित करना–

आशा द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित लाभार्थियों की संख्या × 100/10

नोट–उपरोक्त लाभार्थियों के नाम सम्बन्धित आशा के ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका (आशा डायरी) के सर्वे में अंकित होना चाहिए।

उदाहरण– श्रीमती राधा देवी (आशा), ग्राम–पिपरिया, ब्लॉक–बीसलपुर, जनपद–पीलीभीत में कार्यरत है, गाँव की आबादी 1400 है। पीलीभीत की जन्मदर 30 प्रति हजार है। श्रीमती राधा देवी (आशा)द्वारा वर्ष 2016–17 में 8 संस्थागत प्रसव कराने हेतु प्रोत्साहन राशि रू0 600 प्रति प्रसव की दर से प्राप्त हुआ। वर्ष 2016–17 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या 27 है। श्रीमती राधा देवी (आशा) द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भनिरोधक साधन अपनाने हेतु प्रेरित किया गया जिसमें 1 पुरुष व 3 महिलाओं ने स्थायी गर्भनिरोधक साधन अपनाया। श्रीमती राधा देवी (आशा) के विगत वित्तीय वर्ष 2016–17 में किये गये कार्यो के औसत प्रतिशत की गणना मानक के अनुरूप निम्नानुसार की जायेगी–

1. संस्थागत प्रसव–(8×1000) / 1400 = 5.71 प्रति हजार

   प्रतिशत=(5.71×100) / 30=19.03 %

2. ग्राम पिपरिया में कुल 0–1 वर्ष तक के बच्चों की संख्या–(27×1000) / 1400=19.28

   टीकाकरण की उपलब्धि का प्रतिशत–(19.28×100) / 30=64.27 %

3. परिवार नियोजन की उपलब्धि का प्रतिशत–4×100 / 10=40 %

4. औसत प्रतिशत–(19.03+64.27+40) / 3=41.10 %

अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार औसत प्रतिशत के आधार पर ब्लॉक की सर्वश्रेष्ठ आशा का चयन कर उपरोक्त मानकों के विवरण सहित अपनी संस्तुति मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी जायेगी। इन आशाओं को सम्मेलन में अवश्य आमंत्रित किया जाये एवं उन्हें सम्मेलन के दौरान पुरस्कार वितरित किये जाये। प्रत्येक ब्लॉक की सर्वश्रेष्ठ आशा को प्रमाण पत्र एवं रू0 5000 की धनराशि PFMS के माध्यम से सम्बन्धित आशा के खाते में हस्तांतरित की जायेगी। आशा अवार्ड की धनराशि एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी1.1.4 के अंतर्गत सभी जनपदों को अवमुक्त की जा रही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त औसत प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक ब्लॉक की द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाली आशाओं को भी पुरस्कृत करने का प्राविधान है। जिसके अन्तर्गत क्रमशः रू0 2000 / – एवं रू0 1000 / – की धनराशि पुरस्कार स्वरूप PFMS के माध्यम से सम्बन्धित आशा के खाते में हस्तांतरित की जायेगी। जिसे आशा सम्मेलन हेतु एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी1.1.3.7.1 में अनुमन्य धनराशि में से व्यय किया जायेगा।

पुरस्कार हेतु आशा संगिनी का चयन

वित्तीय वर्ष 2016–17 में **आशा संगिनीयों द्वारा अपने निर्धारित क्लस्टर में किये गये कार्यों** के आधार पर दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ आशा संगिनियों को पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। सर्वश्रेष्ठ आशा संगिनी का चयन सम्बन्धित ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक की सर्वसम्मति से निम्न मानकों के आधार पर किया जायेगा एवं जनपद स्तर पर प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात जनपद स्तर पर प्राप्त समस्त संगिनियों की सूची में से सर्वश्रेष्ठ 3 आशा संगिनीयों को जनपद स्तर पर चयन किया जायेगा एवं उन्हीं को आशा सम्मेलन में सम्मानित किया जायेगा।

तालिका–1

आशा संगिनी पुरस्कार प्रारूप –

क्र0सं0	गतिविधियाँ	आशाओं के निर्धारित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर अंक प्रतिशत
1	आशा संगिनी के क्लस्टर में समस्त आशाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में अपने क्षेत्र में कराये गये उन	

	संस्थागत प्रसवों की संख्या जिसमें आशा को प्रति केस रू0 600/– प्राप्त हुआ हो।	
2	आशा संगिनी के क्लस्टर में समस्त आशाओं के कार्यक्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या (0–1 वर्ष तक)	
3	आशा संगिनी के क्लस्टर में समस्त आशाओं के कार्यक्षेत्र में आशा द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भ निरोधक साधन अपनाने वाले लाभार्थियों की संख्या	
4	आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं का वार्षिक औसत आशा भुगतान	
	उपर्युक्त चार मानकों के प्रतिशत का कुल योग	
	औसत प्रतिशत	

सर्वश्रेष्ठ आशा संगिनी कार्य के मानक

1. **आशा संगिनी द्वारा क्षेत्र से संस्थागत प्रसव कराना**

क = आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा कुल कराये गये **संस्थागत** प्रसव की संख्या (जिसमें आशाओं को प्रति केस रू0 600/– प्राप्त हुआ हो) × 1000/कुल कार्यरत आशाओं द्वारा आच्छादित जनसंख्या

ख = प्रति हजार सम्भावित प्रसवों की संख्या (जनपद के जन्म दर के आधार पर)

प्रतिशत = क×100/ख

2. **आशा संगिनी के कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे**

क = आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा कुल कराये गये पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या×1000/जनसंख्या

ख = प्रति हजार सम्भावित पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या (जनपद के जन्म दर के आधार पर) प्रतिशत = क×100/ख

3. **स्थायी गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग हेतु प्रेरित करना –**

आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत **अपने कार्यक्षेत्र** में स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित कुल लाभार्थियों की संख्या×100/आशाओं की संख्या×5

4. **आशा संगिनी के क्षेत्र में आशाओं का मासिक औसत भुगतान प्रतिशत–**

आशा संगिनी के क्षेत्र में कार्यरत समस्त आशाओ द्वारा प्राप्त कुल चार मद (नियमित गतिविधियाँ, जे0एस0वाई0, आर0आई0 एवं परिवार नियोजन) में मासिक प्रतिपूर्ति राशि×100/2500

उदाहरण– श्रीमती लक्ष्मी देवी (आशा संगिनी), ब्लॉक–महरोनी जनपद–झांसी में कार्यरत है, जिनके क्लस्टर की जनसंख्या 22000 है। झांसी की जन्मदर 30 प्रति हजार है। श्रीमती लक्ष्मी देवी (आशा संगिनी) के क्लस्टर में कार्यरत समस्त 20 आशाओं द्वारा वर्ष 2016–17 में 200 संस्थागत

प्रसव कराने हेतु सहयोग प्रदान करने के सापेक्ष मात्र 180 में प्रोत्साहन राशि 600 रू0 प्राप्त हुई है। वर्ष 2016–17 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या 500 है व परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थायी गर्भनिरोधक साधन हेतु 10 पुरूष व 60 महिलाओं को प्रेरित किया गया। श्रीमती लक्ष्मी देवी (आशा संगिनी) के क्षेत्र में समस्त आशाओं का औसत आशा भुगतान रू 1800/– है तो श्रीमती लक्ष्मी देवी (आशा संगिनी) के औसत प्रतिशत की गणना निम्न मानक के अनुसार की जायेगी–

1. संस्थागत प्रसव–(180×1000)/22000=8.18 प्रति हजार
   प्रतिशत=(8.18×100)/30=27.27 %
2. क्लस्टर में कुल 0–1 वर्ष तक के पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या–(500×1000)/22000=22.73
   टीकाकरण की उपलब्धि का प्रतिशत–(22.73×100)/30=75.77 %
3. परिवार नियोजन की उपलब्धि का प्रतिशत–70×100/20×5=70 %
4. औसत आशा भुगतान प्रतिशत– 1800×100/2500=72 %
5. औसत प्रतिशत–(27.27+75.77+70+72)/4=61.26 %

दिशा–निर्देश के साथ संलग्न प्रारुप 1 ब्लॉक की समस्त आशा संगिनियों को प्रदान किया जायेगा। आशा संगिनी एक सप्ताह के अन्दर उक्त प्रारुप अपने क्लस्टर की समस्त आशाओं द्वारा किये गये कार्यों का विवरण भरकर ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात ब्लॉक स्तर से समस्त संगिनियों से सूचना प्राप्त कर प्रारुप 2 में संकलित करके जनपद स्तर पर प्रेषित किया जायेगा। जनपद स्तर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0) एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा समस्त ब्लॉकों से प्राप्त रिर्पोटो को प्रारुप 3 पर संकलित एवं मूल्याकंन करके सर्वश्रेष्ठ 3 आशा संगिनियों का चयन किया जायेगा। जिसका अनुमोदन जिला स्वास्थ्य समिति से प्राप्त किया जाये।

समस्त आशा संगिनियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया जाये जिसमें जनपद की सर्वश्रेष्ठ 3 आशा संगिनियों को पुरस्कृत किया जायेगा। औसत प्रतिशत के आधार पर जनपद की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाली आशा संगिनियों को क्रमशः रू0 5000, रू0 3000 एवं रू0 2000 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप PFMS के माध्यम से उनके खाते में हस्तांतरित की जायेगी। आशा संगिनी पुरस्कार की धनराशि एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी1.1.4 के अंतर्गत सभी जनपदों को अवमुक्त की जा रही है।

आशा सम्मेलन हेतु वित्त व्यवस्था

आशा सम्मेलन के आयोजन हेतु अनुमन्य धनराशि का व्यय नीचे दी गयी तालिका में अंकित है, जिसे निर्धारित सीमा से अधिक व्यय न किया जाये।

अनुमन्य व्यय हेतु मानक

क्र0सं0	मद	दर
1	भोजन व्यवस्था	रू 75/– प्रति आशा

2	सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु	रू0 4000/–
3	सम्मेलन व्यवस्था (कुर्सी, मेज, माईक, बैनर एवं अन्य)	1. 500 आशाओं की उपस्थिति तक रू0 15000/– 2. 750–1000 आशाओं की उपस्थिति तक रू0 20000/– 3. 1000 आशाओं से अधिक की उपस्थिति पर रू0 25000/–
4	आशाओं हेतु सामग्री किट (फोल्डर, प्रचार–प्रसार सामग्री, पम्पलेट आदि)	रू0 50/– प्रति आशा
5	आशाओं के आने–जाने हेतु	रू0 100/– प्रति आशा
6	कन्टीजेन्सी, फोटोग्राफी, वीडियो फिल्म आदि	रू0 8000/–
7	ब्लॉक की द्वितीय एवं तृतीय स्थन प्राप्त करने वाली आशाओं हेतु पुरस्कार की धनराशि	रू0 3000/–(2000+1000=3000) FMR Code B.1.1.3.7.1 से व्यय किया जाये

सम्मेलन के आयोजन की धनराशि इस शर्त के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त की जा रही है कि आयोजन के पूर्व जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा धनराशि के 75 प्रतिशत का अनुमोदन प्राप्त किया जाये। सम्मेलन के आयोजन के उपरान्त सम्मेलन की रिपोर्ट व्यय विवरण सहित जिला स्वास्थ्य समिति को प्रस्तुत कर शेष आवश्यक धनराशि का अनुमोदन प्राप्त कर समायोजन/भुगतान किया जाये।

आशा सम्मेलन के आयोजन हेतु धनराशि राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जनपदों के जिला स्वास्थ्य समितियों को निम्न तालिका अनुसार दिनांक 24.07.2017 को अवमुक्त की जा चुकी है।

Sr.	District	ASHA Divas/Annual ASHA Samellan
FMR Code		B1.1.3.7.5
1	Agra	866400
2	Aligarh	927000
3	Allahabad	1340700
4	Ambedkarnagar	687000
5	Amethi	633900
6	Amroha	418200
7	Auraiya	357300
8	Azamgarh	1194600
9	Baghpat	303000
10	Bahraich	905700
11	Ballia	836700
12	Balrampur	562800
13	Banda	432000
14	Barabanki	920100
15	Bareilly	876000

16	Basti	667500
17	Bijnor	885000
18	Budaun	745800
19	Bulandsahr	699300
20	Chandauli	555000
21	Chitrakoot	244800
22	Deoria	838200
23	Etah	429900
24	Etawah	401100
25	Faizabad	654300
26	Farrukhabad	453900
27	Fatehpur	663300
28	Firozabad	535800
29	Gautambudhnagar	224700
30	Ghaziabad	281400
31	Ghazipur	1034700
32	Gonda	900000
33	Gorakhpur	1103700
34	Hamirpur	269100
35	Hapur	243300
36	Hardoi	1011000
37	Hathras	358200
38	Jalaun	360900
39	Jaunpur	1183800
40	Jhansi	394500
41	Kannauj	429600
42	Kanpur Dehat	486900
43	Kanpur Nagar	574800
44	Kasganj	331500
45	Kaushambhi	469500
46	Kushinagar	963000
47	Lakhimpur Khiri	1008600
48	Lalitpur	278100
49	Lucknow	610500
50	Maharajganj	753600
51	Mahoba	203400
52	Mainpuri	534000
53	Mathura	550500
54	Mau	541200
55	Meerut	653700
56	Mirzapur	616200

57	Moradabad	690900
58	Muzaffarnagar	658500
59	Pilibhit	414900
60	Pratapgarh	864900
61	Raebareli	668100
62	Rampur	502200
63	Saharanpur	826200
64	Sambhal	512700
65	Sant Kabir Nagar	447300
66	Sant Ravidas Nagar	390900
67	Shahjahanpur	770700
68	Shamli	268200
72	Srawasti	315900
69	Siddharth Nagar	738000
70	Sitapur	1123200
71	Sonbhadra	445200
73	Sultanpur	734700
74	Unnao	759300
75	Varanasi	676500
TOTAL		**47214000**

एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी1.1.4 आशा एवं आशा संगिनी पुरस्कार हेतु धनराशि अलग से प्रेषित की जा रही है।

कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा

क्र0सं0	आयोजन बिन्दु	समय
1	आशाओं का ब्लॉकवार पंजीकरण	प्रातः 9:00–10:00 बजे तक
2	उद्घाटन	प्रातः 10:00 बजे
3	ईश्वरीय वन्दना	प्रातः 10:15 बजे
4	आशा सम्मेलन का उद्देश्य व महत्ता मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सम्बोधन	प्रातः 10:30 बजे
5	उत्कृष्टता पुरस्कार	प्रातः 10:45 बजे
6	मुख्य अतिथि एवं जिला स्तरीय अधिकारियों का सम्बोधन	प्रातः 11:15 बजे
7	• उत्तर प्रदेश में आशाओं की जिम्मेदारियों पर संभाषण–सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी • सांस्कृतिक कार्यक्रम (लोक नृत्य, लघु नाटक प्रहसन)–आशाओं द्वारा • एन.एच.एम. के अन्तर्गत इस वर्ष आशाओं हेतु योजनाओं व प्रोत्साहन राशि के सम्बन्ध में जानकारी–सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी • जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं जननी सुरक्षा योजना पर चर्चा–सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी • राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर चर्चा–सम्बन्धित	प्रातः 12:00–4:00 बजे तक

	कार्यक्रम अधिकारी • लोकगीत गायन / वाद–विवाद प्रतियोगिता, क्विज आदि • आशाओं के लिये (कार्यक्रम के दौरान समय पर भोजन अच्छे कैटरर के माध्यम से हाईजैनिक पौष्टिक भोजन के डिब्बों का वितरण)	
8	कार्यक्रम का समापन	4:00 बजे तक

*** सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फिल्मी गानों को न गाया जाये और न ही उन पर नृत्य किया जाये तथा शालीनता का पालन किया जाये। केवल स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार–प्रसार वाले लोक गीत, नाटक, बिरहा, रागनी, आल्हा, सोहर, जादू का प्रदर्शन, कठपुतली आदि का प्रदर्शन अनुमन्य होंगे।**

अनुश्रवण–

राज्य स्तर के अधिकारी, राज्य आशा मेंटरिंग समूह के सदस्य एवं मण्डलीय अपर निदेशक, मण्डलीय संयुक्त निदेशक तथा मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधकों को सम्मेलन में प्रतिभाग करने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यक्रम का अनुश्रवण करायें।

जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर अपरान्ह 12:00 बजे व 4:00 बजे आशाओं एवं संगिनियों के पंजीकरण रजिस्टर में आशाओं एवं संगिनियों की संख्या नोट कर मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों / रीजनल कोऑर्डिनेटर को एस0एम0एस0 द्वारा सूचित करेंगे मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों / रीजनल कोऑर्डिनेटर सायं 7:00 बजे संकलित सूचना ई–मेल के माध्यम से महाप्रबंधक, कम्युनिटी प्रोसेस को अवगत करायेंगे। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आशा संगिनी सम्मेलन में प्रतिभाग नहीं कर पायेंगी तो इसकी सूचना पूर्व में जनपद स्तर पर, मण्डल स्तर पर एवं राज्य स्तर पर अवश्य दें दे। समस्त जनपद प्रत्येक दशा में आशा सम्मेलन की रिपोर्ट कार्यक्रमों के अगले दिन निम्न प्रारूप पर अवश्य प्रेषित करें।

आशा सम्मेलन रिपोर्टिंग प्रपत्र		
1	जनपद का नाम	
2	जनपद में कुल आशाओं की संख्या	
3	प्रतिभाग करने वाली कुल आशाओं की संख्या	
4	प्रतिभाग करने वाली कुल आशाओं का प्रतिशत	
5	अन्य प्रतिभागियों की संख्या	
6	कुल प्रतिभागियों की संख्या	
7	मुख्य अतिथि	
8	जनप्रतिनिधि का नाम व विवरण	
9	मण्डलायुक्त	
10	जिलाधिकारी	
11	अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
12	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
13	मुख्य चिकित्साधिकारी	
14	सी0डी0ओ0	

15	जिला पंचायतराज अधिकारी	
16	जिला कार्यक्रम अधिकारी आई0सी0डी0एस0	
17	जनपद स्तरीय अन्य अधिकारी	
18	मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक	
19	राज्य स्तरीय अधिकारी / राज्य स्तरीय आशा मेन्टरिंग के सदस्य	
20	अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि	
21	टिप्पणी	

विस्तृत जनपदीय रिपोर्ट जिसमें पुरस्कृत आशाओं के नाम, सम्मेलन के फोटोग्राफ, समाचार पत्र–पत्रिकाओं से प्रकाशित समाचार, फोटोग्राफ सी0डी0 आदि 10 सितम्बर, 2017 तक अवश्य महाप्रबंधक, कम्युनिटी प्रोसेस के पास उपलब्ध करायेंगे जिससे इन फोटोग्राफ आदि को यू0पी0 एन0आर0एच0एम0 की बेवसाइड पर अपलोड किया जा सके।

भवदीय,

o/c

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / कम्यु.प्रो. / आशा सम्मेलन / 2016–17 / 04 / 4660-75-11 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा–निर्देश को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त चिकित्सा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपयुक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यय विवरण समय से भेजवाना सुनिश्चित करें।
10. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक / रीजनल कोऑर्डिनेटर (आशा), उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।

o/c

(डा0राजेश झा)
महाप्रबंधक, कम्यु0प्रो0